

युवक का अपहरण कर लूटपाट करने के आरोपी चार कांस्टेबल निलंबित

चारों निलंबित कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, डीसीपी पूर्व आदेश जारी किए

जोधपुर, (कासं)। एक युवक का किडनैप कर लूटपाट करने वाले चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

माता का थान पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल नृसिंग राम, राकेश पुनिया, लादूराम और जगमाल राम को निलंबित किया गया है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में एक अन्य जिले के पुलिसकर्मों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही

है। जल्द ही उसकी भूमिका की जांच कर उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की जांच आइपीएस अधिकारी हेमंत कलाल कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार परिवारी रामदेव नगर बनाइ रोड निवासी दिलीप गौड़ की ओर से डीसीपी कार्यालय में सौंपे गए प्रार्थना पत्र के आधार पर बुधवार देर रात महामंदिर थाने में एफआइआर दर्ज की थी। इसमें आरोप है कि 14 जुलाई को दिलीप और उसके दोस्त रमेश शर्मा को पुलिसकर्मियों ने डरा-धमकाकर अगवा किया और माता का थान थाने

■ ‘मामले में एक अन्य जिले के पुलिसकर्मों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है’

में बंधक बनाकर दो लाख रुपए व क्रिप्टो करेंसी वसूली। दिलीप गौड़ ने शिकायत में आरोप लगाया कि वह 14 जुलाई को अपने दोस्त रमेश शर्मा के साथ मॉल में खरीदारी करने गया था। मॉल के बाहर कार पार्क करते समय वदीधारी सिपाही जगमाल व

अन्य सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मों वहां पहुंचे और दोनों को डराने धमकाने लगे। दिलीप को कार से उतारकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गए। पीछे बैठे पुलिसकर्मियों ने कहा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, छूटना है तो रुपए दो। इसके बाद दोनों से मौके पर ही 50-50 हजार रुपए वसूले गए। दिलीप का आरोप है कि इसके बाद उन्हें जबरन कार में बैठाकर माता का थान थाने ले जाया गया। थाने के सीसीटीवी कैमरे नहले ही बंद करवाए गए। थाने में राकेश रामक सिपाही भी मौजूद था। वहां उन्हें धमकाकर परिवार की बैंक

डिटेल ली गई और दिलीप की पत्नी के एटीएम कार्ड से पासवर्ड लेकर रमेश से एक लाख रुपए निकलवाए गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने दिलीप का कीमती मोबाइल भी ले लिया और उसमें मौजूद क्रिप्टो करेंसी अपने किसी परिचित को ट्रांसफर कर दी। बाद में कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और किसी से कुछ कहने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर रात करीब साढ़े आठ बजे छोड़ा गया। पीड़ितों ने डीसीपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।

बेरोजगार युवकों को रोजगार का लालच देकर बंदी बनाया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने जाँब दिलाने के नाम रुपए लिए और ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही इन्हें कमरों में बंदी बनाकर रखा।

पीड़ितों का ओर से थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने मीरा नगर स्थित टेडेस्टिक वेंचर्स प्रा.लि. नाम की कंपनी से उनके पास जाँब दिलाने के लिए कॉल आया। उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन कपड़े बेचने में बंदी बना लिया और मोबाइल ले लिए। घर से पैसे मंगवाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित किया। ऐसे में कुछ युवक चोरी छिपे वहां से भाग निकले, जिन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

थानाधिकारी रविन्द्र चारण ने बताया कि कुछ युवाओं ने एक कंपनी के खिलाफ जाँब रजिस्ट्रेशन के नाम पर रुपए एंटेन और बंदी बनाने का आरोप

■ पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने जाँब दिलाने के नाम रुपए लिए और ट्रेनिंग दी, इसके साथ ही इन्हें कमरों में बंदी बनाकर रखा

■ ‘रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब बेरोजगारों से 41500 रुपए ले लिए और जाँब भी नहीं मिली’

लगाया है। मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस जब कंपनी के ऑफिस पहुंची तो मौके पर कोई नहीं मिला।

पीड़ित संजय कुमार निनामा निवासी प्रतापगढ़ ने बताया कि कुसुम मीणा नाम की महिला ने फोन करके जाँब का लालच दिया। 20 से 25 हजार सैलरी बताई। मैं उनके ऑफिस गया तो मुझे 4 दिन की ट्रेनिंग दी फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 41500 रुपए जमा कराने को कहा। मेरे पास 10 हजार रुपए थे, वो जमा करा दिए। इसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कंपनी कर्मचारियों ने पैसे जमा कराने का दबाव बनाया। वहीं लड़की नर्मदा और पारस ने बताया कि हमें कंपनी ने जाँब के नाम पर झूठ बोला। हमसे

41500 रुपए ले लिए। एक समय खाना देते थे और बाहर नहीं आने देते। हम रात तीन बजे छिपकर वहां से भागे। प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे पैसे वापस दिलाए जाएं और कंपनी के अपडेट करने की एवज में मांगी थी।

बीपी प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कोटेड ने बताया कि कुछ युवक-युवतियों ने मुझे इस घटना के बारे में बताया तो मैंने उनके साथ सुखेर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी ने बेरोजगार युवाओं को जाँब का लालच देकर रुपए एंटे दे रहे। रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब बेरोजगारों से 41500 रुपए ले लिए और जाँब भी नहीं मिली। पैसे नहीं देने पर उन्हें बंदी बना लिया गया।

पंख पर अद्भुत चित्रकारी देख अभिभूत हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह व गजेन्द्र सिंह

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के आदिवासी कलाकार मांगीलाल गमेती की पक्षियों के पंखों पर की गई अद्भुत चित्रकारी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत

■ उदयपुर के आदिवासी कलाकार मांगीलाल गमेती की अद्भुत चित्रकारी की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने प्रशंसा की

शेखावत को अभिभूत कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जनजाति कलाकारों के लिए संचालित बनफूल से संबद्ध देवाली उदयपुर निवासी मांगीलाल गमेती ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित सहकार सम्मेलन के दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों को अपनी कृतियां भेंट की। छोटे से पंख पर भगवान श्री कृष्ण की चित्राकर्षक छवि देखकर शाह और शेखावत ने प्रशंसा की। साथ ही जनजाति कलाओं को संरक्षित करने के प्रयासों की भी सराहा।

उल्लेखनीय है कि टीआरआई,



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मांगीलाल गमेती ने पंख पर उकेरी कलाकृति भेंट की।

उदयपुर परिसर में जनजाति डिजाइन स्टूडियो बनफूल की स्थापना जनजातीय कला को संरक्षण एवं संवर्धन किए जाने की दृष्टि से की है। यह स्टूडियो पारंपरिक जनजातीय कला और डिजाइन का मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही स्टूडियो पारंपरिक जनजातीय कला से प्रेरित समकालीन परिधान, घरेलू सामान एवं वस्तुओं के डिजाइन में सहयोगी बन रहा है। जनजाति डिजाइन स्टूडियो

जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करते हुए उनके डिजाइन एवं कलाकृतियों को तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराया जाता है।

स्टूडियो के लिए कलाकारों की सूची संधारित की गई है। बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो जनजातीय कला के समृद्ध भंडार को संहित करने का कार्य करते हुए राजस्थान की विभिन्न पारंपरिक जनजातीय कला सुरक्षित किए जाने के माध्यम के रूप

में स्थापित किया गया है। उक्त स्टूडियो अंतर्गत जनजातीय कलाकारों द्वारा चित्रित साड़ियां, चूदरें, स्कूल ड्रेस, माण्डणा कला, पेंटिंग एवं विभिन्न काष्ठ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। यह स्टूडियो राज्य के जनजातीय कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे राज्य के जनजातीय कलाकारों को अपनी कला का व्यवस्थित मंच मिल रहा है।

दुबई से पांच करोड़ का सट्टा कारोबार चलाने का खुलासा, सात गिरफ्तार

मोबाइल सिम, एटीएम, लैपटॉप, ऑनलाइन गैम खेलने का करीब पांच करोड़ रूपयों का हिसाब का संधारित रजिस्टर जब्त

उदयपुर, (निसं)। शहर के प्रताप नगर थाना पुलिस एवं डीएसटी पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुबई में बैठकर शहर में सट्टा कारोबार चलाने का खुलासा करते हुए मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इनके कब्जे से सट्टा उपकरण सहित अन्य सामान जब्त किया।

एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उपाधीक्षक छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्नू, प्रतापनगर

■ मौके पर मौजूद सात लोगों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन साइट्स पर रूपयों का दांव लगा कर लोगों को सट्टा खिलाना बताया

थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह मय टीम को मुखबीर से आर्ची गैलेक्सी अपार्टमेंट पावर हाउस देवारी के एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से अनजान ग्राहकों को दुबई से ऑनलाइन गैम खेलने व खिलाने काम कर धोखाधड़ी करने की मुखबीर से सूचना मिली। इस पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर दबीश दी, जहां पर मौजूद

सात लोगों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन साइट्स पर रूपयों का दांव लगा कर लोगों को सट्टा खिलाना बताया। सभी ने ऑनलाइन बैटिंग साइट की मास्टर खेला व कुटुरचित फर्जी खाते, मोबाइल सिम, एटीएम, लैपटॉप, ऑनलाइन गैम खेलने का करीब पांच करोड़ रूपयों का हिसाब का संधारित रजिस्टर आदि से धोखाधड़ी कारित करने की जानकारी दी।

इस पर पुलिस दल ने आरोपी सचिन पुत्र अनिल निवासी नीमच एमपी, नवीन पुत्र ओमप्रकाश निवासी लाला लाजपतराय कॉलोनी प्रताप नगर जोधपुर, ओमनारायण पुत्र जगदीशचंद्र निवासी गिलुंड राजसमंद, कश्यप पुत्र अरविंद निवासी चाणेराम पाली, अजय पुत्र जगदीशचंद्र निवासी गिलुंड राजसमंद, महेश पुत्र अर्जुनराम निवासी दुदीया थाना लुणी जोधपुर, अभिषेक पुत्र अशोक निवासी नीमच एमपी को गिरफ्तार कर मोबाइल सिम, एटीएम, लैपटॉप, ऑनलाइन गैम खेलने का करीब पांच करोड़ का हिसाब का संधारित रजिस्टर जब्त कर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

नाबालिग से दुष्कर्म

जयपुर। मालपुरगोट थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर उसे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी परिचित के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी मुनींद्र सिंह ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाले पीड़ित पिता का आरोप है कि मंगलवार देर रात नाबालिग बेटी पर सो रही थी। परिवार के अन्य लोगों की रात को नींद खुली तो देखा नाबालिग बेटी घर से गायब है। घर से थोड़ी ही दूरी पर दूढ़ने पर वो डरी –सहमी एक गली से आती हुई दिखाई दी। पृष्ठताछ करने पर उसने घटना के बारे में बताया।

आरपीएससी : विभिन्न पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इनके तहत 5 विभिन्न विभागों में 12 हजार 121 पदों पर भर्तियों की जाएगी। इनको सम्मिलित करते हुए वर्ष 2025 के दौरान आयोग

■ पांच विभिन्न विभागों में 12 हजार 121 पदों पर भर्तियां की जाएगी

आयोग सचिव ने बताया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त भर्ती अर्धनाओं के क्रम में भर्तियां की जानी है। अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु आवेदन करते समय विज्ञापन में जारी की गई बांछित योग्यता

का अवश्य अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि जिस पद के लिए उनके द्वारा आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए पात्रता की समस्त शर्तों को वे पूरा करते हों। बिना बांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है।

सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) के 281 पद, पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा अधिकारी) के 1100

पद, उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह गुप-1) विभाग के 1015 पद, प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा विभाग) के 3225 पद, वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के 6500 पद है।

सहायक कृषि अभियंता के पदों के लिए 28 जुलाई से 26 अगस्त, पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए 5 अगस्त से 3 सितंबर, उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर, प्राध्यापक एवं कोच के पदों के लिए 14 अगस्त से 12 सितंबर तथा वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर तक किए जा सकेंगे।

चाचा-भतीजे हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार



चाकूबाजी कर चाचा-भतीजे की हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार किया।

अजमेर, (कासं)। रामगंज थाना क्षेत्र के ब्यावर रोड खानपुरा स्थित पाकीजा मीट शॉप पर दो दिन पूर्व चिकन की रेट पांच रुपए बढ़ाने को लेकर हुए दो पक्षों में झगड़े में एक पक्ष द्वारा चाकूबाजी कर चाचा-भतीजे की हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीन जनों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक को डिटेन किया है, जो जेएलएन अस्पताल में भर्ती है।

एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और थाना प्रभारी डॉ. रवीश सामरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 जुलाई दोपहर तीन बजे करीब 50 से 60 लोग गाड़ियों में भरकर आए थे। दोनों पक्षों के बीच मीट की रेट को लेकर विवाद हुआ था।

■ पुलिस ने एक को डिटेन किया, जो जेएलएन अस्पताल में भर्ती है

■ चिकन रेट पांच रुपए बढ़ाने पर दुकान पर आकर चाकू मारा था

हमलावर पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चिकन की रेट पांच रुपए बढ़ाने का दबाव बनाया था। इस बात पर दोनों पक्षों में वॉट्सऐप पर विवाद हुआ था। बात नहीं मानने पर चाकूबाजी कर हत्या कर दी

थी। हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों एहसान कुरैशी, यूसुफ कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक घायल आरोपी को डिटेन किया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

चाकूबाजी में दोनों पक्षों के सात लोग हुए थे घायल :-मीट शॉप पर आया दूसरा पक्ष सोगरान मोहल्ला दरगाह क्षेत्र का था। इस पक्ष के यूनूस पुत्र मोहम्मद अली, एहसान पुत्र अल्लाह बख्श और इमरान पुत्र अब्दुल अली घायल हैं। वहीं मीट शॉप के पक्ष के सलमान पुत्र शम्बीर, शाहरूख पुत्र शम्बीर, शाहबाज कुरैशी पुत्र शम्बीर और इरफान कुरैशी घायल हैं।

डॉ. बिंदिया चौधरी प्रशासक पद पर बहाल

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला पलटा, अतिरिक्त आयुक्त ने बिना नोटिस पद से हटाया था

श्रीगंगानगर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जैतसर की ग्राम पंचायत 1 एमएसडी की प्रशासक डॉ. बिंदिया चौधरी को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त

इंद्रजीत सिंह ने दो जुलाई को डॉ. चौधरी को विभिन्न आरोप लगाते हुए पद से हटा दिया था। इसके विरोध में डॉ. चौधरी ने वकील जितेन्द्र सिंह भलेरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बिना जांच

और नोटिस के पद से हटाया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने 2 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए डॉ. चौधरी को पुनः कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही प्रतिवादी वकील को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

नकल प्रकरण में मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को राहत मिली

जोधपुर, (कासं)। नकल प्रकरण में कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को राहत मिली है। परीक्षा नियंत्रक ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी है।

एमबीएम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बोम) की बैठक विश्वविद्यालय परिसर में हुई। बैठक में कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती का नकल प्रकरण भी रखा गया, जिसमें उसको क्लीन चिट दे दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बोम सदस्यों

■ परीक्षा नियंत्रक ने क्लीन चिट दी

को उनके एजेंड के साथ वर्ष 2023-24 में नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों की सूची तो सौंपी, लेकिन वर्ष 2024-25 के विद्यार्थियों की सूची को गोपनीय बता दिया, इसकी सूची की ही नहीं। बोम बैठक में कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया तो कुलपति प्रो. अजय शर्मा ने उनके विरोध

को दरकिनार कर दिया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 में नकल करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों में कानून मंत्री पटेल की पोती का प्रकरण भी शामिल था। नकल प्रकरणों की सूची परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल गुप्ता ने एक-एक लिफाफा खोलकर खुद ही सुनाई। जब कानून मंत्री की पोती का नाम आया तो डॉ. गुप्ता बोले 'फाउंड नो मिली'। कुलमिलाकर मंत्री की पोती को दोषमुक्त करार दे दिया गया।

52 हजार केरिंग चार्ज वसूला

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक की कल्लो और 52000 के केरिंग चार्ज वसूल किया। इस संबंध में हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा ने गुरुवार को निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान

स्वास्थ्य शाखा ने 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जन्त की कल्लो और 52000 के केरिंग चार्ज वसूल किया। इस संबंध में हेरिटेज निगम उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर सघन तलाशी अभियान चला रहा है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर				
क्र.सं. संचित पत्र सं. 03-07/Exam/AEn/Agri/V.O./SI-Platoon Commander/Lecturer-Coach/Sr.Teacher/RPSC/EP/2025-26 दिनांक-17.07.2025				
आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न स्तरों के नियुक्त 05 विभागों के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उक्त विभागों के तहत विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता, विभागवार पदों की संख्या, वारवार वर्गीकरण आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पृथक-पृथक विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। इन विज्ञापनों के तहत विज्ञापित पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विज्ञापन संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है-				
क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विज्ञापन संख्या	पदों की संख्या
1.	कृषि विभाग	सहायक कृषि अभियंता	03/2025-26	281
2	पशुपालन विभाग	पशुचिकित्सा अधिकारी	04/2025-26	1100
3	गृह (गुप-1) विभाग	उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर	05/2025-26	1015
4	माध्यमिक शिक्षा विभाग	प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा)	06/2025-26	3225
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग	वरिष्ठ अध्यापक	07/2025-26	6500
अन्य बिन्दु व सूचना-एकबारीय एजीवन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.raajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/कम्प्लिकेशन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. -0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।				
DIPR/C/9781/2025				राम निवास मेहता सचिव